TELE – LAW 2.0 IN MEDIA

Tele-Law 2.0 unveiled by Union Law Minister

New Delhi, Aug 25: In a momentous event, the Tele-Law 2.0 initiative was launched marking an important chapter in the evolution of the Tele-Law program of the Department of Justice, Ministry of Law & Justice. This ground-breaking program, operating under the DISHA Scheme, has achieved a significant milestone by delivering 50 lakh legal consultations, reinforcing its unwavering dedication to ensuring justice reaches every corner of the nation. The event was graced by the esteemed presence of Arjun Ram Meghwal, Minister of State (Independent Charge) for Law and Justice as Chief Guest, who made a historic announcement by inaugurating Tele-Law 2.0. This version entails the fusion of Tele-Law Services with Nyaya Bandhu pro bono legal services, a merger to further enhance citizen accessibility to legal aid. He emphasised the pivotal role this achievement plays in democratizing legal services accessibility across India.

In his keynote address, Meghwal expressed his delight in being part of the Tele-Law 2.0 launch, heralding it as the commencement of a new era in digitally dispensed citizen-centric legal services. He recognized the indispensable role technology plays in citizens' lives and stressed the imperative of aligning justice delivery with technological advancements. He also mentioned that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji the number of beneficiaries of the Tele-Law Scheme have reached 50 Lakhs milestone. The integration of legal guidance, support, and representation through a single registration process stands as a testament to the commitment to nurture a digitally literate and empowered populace. Meghwal called upon legal professionals to contribute pro bono services to ensure that no citizen is deprived of essential legal assistance. During the event the 4th Edition of Voices of Beneficiaries Booklet released by Meghwal. The event witnessed the formal unveiling of the integration between Tele-Law and Nyaya Bandhu pro bono legal services by Meghwal, accompanied by a brief film detailing the journey of Tele-Law thus far and an e-tutorial illustrating the integration process. This seamless amalgamation is set to establish a direct connection between those seeking legal aid and pro bono advocates, fostering a dynamic ecosystem that guarantees accessible justice for all citizens.

टेली-लॉ कार्यक्रम के तहत अब तक 50 लाख लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान की गई

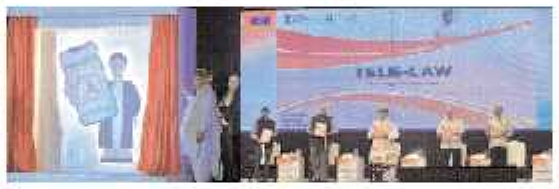

वैभव न्यूज ■ नई दिल्ली

न्याय विभाग ने अपने टेली-लॉ कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में 50 लाख लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करने की उपलब्धि का शुक्रवार को जश्न मनाया। इस मौके पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्वयंसेवकों से जरूरतमंदों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रयास से पीछे नहीं हटने का आग्रह किया। केंद्रीय कानून मंत्रालय के तहत आने वाले न्याय विभाग ने इस अवसर पर टेली-लॉ योजना 2.0 भी शुरू की। मेघवाल ने इस अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वकीलों द्वारा बिना शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की प्रथा एक पश्चिमी अवधारणा प्रतीत हो सकती है, लेकिन भारतीय संस्कृति और परंपराओं में संकट में फंसे लोगों की मदद करने के कई उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से टेली लॉ योजना का विस्तार करने वाले स्वयंसेवकों को जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रयास से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने कहा, आखिरकार, वे आपके लोग हैं। स्वयंसेवकों को न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए क्योंकि आम व्यक्ति अक्सर लंबी लड़ाई से निराश या हतोत्साहित महसूस करता है।

ടെലി-ലോ പദ്ധതിയിൽ 50 ലക്ഷം പേർക്ക് നിയമോപദേശം നൽകി

پورے ملک میں 50 لاکھ قبل از قانونی چارہ جوئی کے مشورے کو فعال کیا گیا

ടെലി-ലോ പദ്ധതിയിൽ 50 ലക്ഷം പേർക്ക് നിയമോപദേശം നൽകി

Tele-Law 2.0 unveiled by Law Minister

Heralds it as the commencement of a new era in digitally dispensed citizen-centric legal services

New Delhi (PIB): In a momentous event, the Tele-Law 2.0 initiative was launched today marking an important chapter in the evolution of the Tele-Law program of the Department of Justice, Ministry of Law & Justice. This ground-breaking program, operating under the DISHA Scheme, has achieved a significant milestone by delivering 50 lakh legal consultations, reinforcing its unwavering dedication to ensuring justice reaches every corner of the nation. The event was graced by the esteemed presence of Arjun Ram Meghwal, Minister of State (Independent Charge) for Law and Justice as Chief Guest, who made a historic announcement by inaugurating Tele-Law 2.0. This version entails the fusion of Tele-Law Services with NyayaBandhu pro bono legal services, a merger to further enhance citizen accessibility to legal aid. He emphasized the pivotal role this achievement plays in democratizing legal services accessibility across India.

In his keynote address, Meghwal expressed his delight in being part of the Tele-Law 2.0 launch, heralding it as the commencement of a new era in digitally dispensed citizen-centric legal services. He recognized the indispensable role technology plays in citizens' lives and stressed the imperative of aligning justice delivery with technological advancements. He also mentioned that under the leadership of Hon'ble Prime Minister NarendraModiji the number of beneficiaries of the Tele-Law Scheme have reached 50 Lakhs milestone. The integration of legal guidance, support, and representation through a single registration process ...

called upon legal professionals to contribute pro bono services to ensure that no citizen is deprived of essential legal assistance. During the event the 4th Edition of Voices of Beneficiaries Booklet released by the Minister of State Arjun Ram Meghwal.

The event witnessed the formal unveiling of the integration between Tele-Law and NyayaBandhu pro bono legal services by the Minister of State Arjun Ram Meghwal, accompanied by a brief film detailing the journey of Tele-Law thus far and an e-tutorial illustrating the integration process. This seamless amalgamation is set to establish a direct connection between those seeking legal aid and pro bono advocates, fostering a dynamic ecosystem that guarantees accessible justice for all citizens.

During the Event, the Minister of State Arjun Ram Meghwal passionately called upon legal professionals to contribute Pro Bono services, ensuring that no citizen is left without essential legal assistance. He elaborated on the philosophy of pro bono, urging law students and the legal fraternity to delve into India's cultural heritage to comprehend the roots of this concept. He stated that, "It's an Indian tradition that when someone is in trouble, we help them; that's pro bono". He added that, "There is a wick and oil in the lamp, You have to light a spark through Tele-Law, a storm will come, rain will come, but you have to light this wick, highlighting the imperative of relentless efforts of every stakeholder in this ecosystem, urged the Department of Justice to surpass its targets and strive for universal access to justice across India. Law Minister emphasized that compassion and positive intent must be at the core of pro bono, as they are fundamental to the success of the NyayaBandhu program in fostering a culture of pro bono in India. The Minister of State Arjun Ram Meghwal engaged in an interactive session with Village Level Entrepreneurs (VLEs), beneficiaries, and panel lawyers fostering a direct exchange of ideas and insights. Hon'bleMoS also recognized and honoured frontline functionaries with certificates during the event, lauding the pivotal role they play in bridging the gap between technology and citizens within the Tele-Law program. He underscored the importance of early dispute resolution and the role of para legal volunteers and village-level entrepreneurs in averting minor disputes from escalating into full-fledged litigation. The event also saw the release of Voices of Beneficiaries, highlighting real-life stories of individuals whose lives were positively impacted by Tele-Law.

Looking ahead, Meghwal urged the further evolution of Tele-Law into a more robust platform. He announced that Tele-Law services will soon be extended to all 2.65 lakh Gram Panchayats through common service centers, ensuring that even the remotest corners of the nation have access to justice. The overarching goal of the Tele-Law program is to touch the lives of one crore beneficiaries well before 2026. During the event, Special Secretary, Department of Justice, Rajinder Kumar Kashyap in his address emphasized that the right of access to the Judiciary is the cornerstone of society, and to expand its reach Department's Tele-Law plays a pivotal role, bringing the judiciary to the last mile.

In his address, Secretary Justice S.K.G Rahate provided a concise overview of the Tele-Law program's innovative approach to delivering legal advice through communication and information technology. He highlighted the program's achievements over the years, its expansion from 1800 CSC centers to 2.5 Lakh Gram Panchayats, signifying remarkable growth, and that the target is to provide legal aid to 1 crore beneficiaries by 2026. Secretary Justice commended the integration of Tele-Law and NyayaBandhu pro bono legal services as a transformative and strategic step. This unified pathway ensures citizens have access to legal guidance and free representation seamlessly.

At the event, the dias was shared by Secretary Justice, S.K.G Rahate; Special Secretary, DoJ, Rajinder Kumar Kashyap; JS (A2J, DoJ) Niraj Kumar Gayagi; and Akshay Kumar Jha, COO, CSC.

कानून मंत्री ने टेली-लॉ 2.0 का अनावरण किया

सचिन जैन

नई दिल्ली। सुयोग एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज टेली-लॉ 2.0 पहल का शुभारंभ किया गया, जो कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के टेली-लॉ कार्यक्रम के विकास में एक अहम अध्याय चिह्नित करता है। दिशा योजना के अंतर्गत संचालित इस अभूतपूर्व कार्यक्रम ने 50 लाख लोगों को कानूनी परामर्श प्रदान करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। यह देश के हर कोने तक न्याय सुनिश्चित करने के अपने अटूट समर्पण को पुष्ट करता है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित रहे, जिन्होंने टेली-लॉ 2.0 का उद्घाटन करके एक ऐतिहासिक घोषणा की। इस संस्करण में न्याय बंधु निःशुल्क कानूनी सेवाओं के साथ टेली-लॉ सेवाओं को मिलाया गया है, जिससे कानूनी सहायता तक नागरिकों की पहुंच को और बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने पूरे भारत में कानूनी सेवाओं तक लोगों की पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने में इस उपलब्धि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया।

अपने मुख्य भाषण में श्री मेघवाल ने टेली-लॉ 2.0 के शुभारंभ का हिस्सा बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसे डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली नागरिक-केंद्रित कानूनी सेवाओं (सीडीसी) में एक नए युग की शुरुआत बताया। उन्होंने नागरिकों के जीवन में प्रौद्योगिकी की अपरिहार्य भूमिका का उल्लेख करते हुए न्याय वितरण को तकनीकी प्रगति से संबद्ध करने की जरूरत बताई। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में टेली-लॉ योजना के लाभार्थियों की संख्या 50 लाख तक पहुंच गई है। एकल पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से कानूनी मार्गदर्शन, मदद और प्रतिनिधित्व का यह एकीकरण, डिजिटल रूप से साक्षर और सशक्त आबादी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। श्री मेघवाल ने कानूनी पेशेवरों का आह्वान किया कि वे प्रो बोनो यानी निःशुल्क सेवाओं में योगदान करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक जरूरी कानूनी सहायता से वंचित न रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लाभार्थियों की आवाज पुस्तिका के चौथे संस्करण का विमोचन किया गया।

इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा टेली-लॉ और न्याय बंधु प्रो बोनो कानूनी सेवाओं के बीच एकीकरण का औपचारिक अनावरण किया गया। इसके साथ ही टेली-लॉ की अब तक की यात्रा के बारे में बताने वाली एक शॉर्ट फिल्म और इस एकीकरण प्रक्रिया को दिखाने वाले ई-ट्यूटोरियल को भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान, राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने उत्साहपूर्ण ढंग से कानूनी पेशेवरों से प्रो बोनो सेवाओं में योगदान करने का आह्वान किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक आवश्यक कानूनी सहायता के बिना न रहे। उन्होंने प्रो-बोनो के दर्शन पर विस्तार से प्रकाश डाला और कानून के छात्रों और कानूनी बिरादरी से इस अवधारणा की जड़ों को समझने के लिए भारत की सांस्कृतिक विरासत में गहराई तक जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल विचारों और अंतर्दृष्टि के सीधे आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), लाभार्थियों और पैनल वकीलों के साथ एक बातचीत सत्र में शामिल हुए। माननीय राज्य मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और टेली-लॉ कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी और नागरिकों के बीच अंतर को दूर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने शीघ्र विवाद समाधान के महत्व और छोटे मोटे विवादों को पूर्ण मुकदमेबाजी में बदलने से रोकने में पैरा लीगल वॉलंटियर और ग्राम-स्तरीय उद्यमियों की भूमिका को रेखांकित किया। इस कार्यक्रम में लाभार्थियों की आवाज (वॉयस ऑफ बेनेफिशियरीज) का विमोचन भी हुआ, जिसमें उन व्यक्तियों के जीवन की कहानियां बताई गईं जिनके जीवन पर टेली-लॉ का सकारात्मक प्रभाव पड़ा था।

श्री मेघवाल ने आगे टेली-लॉ को और अधिक मजबूत मंच के रूप में विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने घोषणा की कि टेली-लॉ सेवाओं को जल्द ही सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से सभी 2.65 लाख ग्राम पंचायतों तक बढ़ाया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि देश के सबसे दूरदराज के कोनों में भी न्याय तक पहुंच हो। टेली-लॉ कार्यक्रम का व्यापक लक्ष्य 2026 से पहले एक करोड़ लाभार्थियों के जीवन को छूना है। इस कार्यक्रम के दौरान, अपने संबोधन में न्याय विभाग के विशेष सचिव, श्री राजिंदर कुमार कश्यप ने इस बात पर बल दिया कि न्यायपालिका तक पहुंच का अधिकार ही हमारे समाज की आधारशिला है, और इसकी पहुंच का विस्तार करने में टेली-लॉ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो न्यायपालिका को अंतिम मील तक पहुंचाता है। अपने संबोधन में, न्याय सचिव श्री एस. के. जी. रहाटे ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कानूनी सलाह देने में टेली-लॉ कार्यक्रम के अभिनव दृष्टिकोण का संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में इस कार्यक्रम की उपलब्धियों के बारे में बताया, कि कैसे 1800 सीएससी केंद्रों से 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक इसका विस्तार उल्लेखनीय विकास को दर्शाता है, और इसका लक्ष्य 2026 तक 1 करोड़ लाभार्थियों को कानूनी सहायता प्रदान करना है। न्याय सचिव ने एक परिवर्तनकारी और रणनीतिक कदम के रूप में टेली-लॉ और न्याय बंधु प्रो बोनो कानूनी सेवाओं के एकीकरण की सराहना की। इस कार्यक्रम में न्याय सचिव श्री एस. के. जी. रहाटे; न्याय विभाग के विशेष सचिव श्री राजिंदर कुमार कश्यप; जेएस (ए2जे, डीओजे) श्री नीरज कुमार गयागी; और सीओओ, सीएससी श्री अक्षय कुमार झा ने मंच साझा किया।

अनावरण | इसे डिजिटली प्रदान की जाने वाली नागरिक-केंद्रित कानूनी सेवाओं के एक नए युग की शुरुआत बताया

कानून मंत्री ने टेली-लॉ 2.0 का अनावरण किया

TELE – LAW IN MEDIA

टेली ला के माध्यम से पीड़ित कामन सर्विस सेंटर पर आकर अपनी समस्या रजिस्टर कराएं

अपनी समस्या को ऑनलाइन करवाने के लिए सम्पर्क करें। उमा शंकर वर्मा पृथ्वीपुरवा हरखापुर

परिधि समाचार
सूरज कुमार शुक्ला

प्रोजेक्ट टेली लॉ भारत सरकार एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है। जिसके माध्यम से राज्य के दूरस्थ स्थानों पर निवास करने वाला व्यक्ति भी समाज की मुख्यधारा में आ जाता है, प्रोजेक्ट टेली लॉ समाज के कमजोर व्यक्तियों को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जहां पर एक ही छत के नीचे वह अपनी विधिक समस्याओं का समाधान तथा राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा पाता है टेली लॉ देश के सुदूर कोने में रहने वाले हर व्यक्ति को सफलतापूर्वक जोड़ने और उसके द्वार पर कानूनी सहायता पहुंचाने का प्रथम पहला प्रयास है समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों का समावेशन और उनका कानून सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल भारत के तहत टेली लॉ एक जरूरी प्रयास जो संयुक्त रूप से न्याय विभाग विधि और न्याय मंत्रालय विधिक सेवा प्राधिकरण और कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है.

'–टेली लॉ में निःशुल्क कानूनी सलाह पाने के हकदार–क–' महिलाएं ,बच्चे(18 साल से कम) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य औद्योगिक कामगार/श्रमिक/मजदूर प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जैसे भूकंप,बाढ़, सूखा इत्यादि दिव्यांग व्यक्ति जातीय हिंसा एवं देह व्यापार से पीड़ित कम आय वाले वर्ग ऐसे व्यक्ति जो हिरासत में हैं।

'इस वित्तीय वर्ष से टेली लॉ सभी के लिए निःशुल्क हो गया है'

इस प्रोजेक्ट के तहत सलाह ली जा सकती है। दहेज,पारिवारिक विवाद,तलाक ,घरेलू हिंसा से बचाव महिला,बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ,यौन दुर्व्यवहार छेड़–छाड़ जमीन –जायदाद व संपत्ति का अधि... पुरुष के लिए समान मजदूरी मातृ... रोकथाम बाल विवाह रोकथाम,बा... ,बाल मजदूरी,बच्चों के शिक्षा के... जमानत मिलने की प्रक्रिया अनुसू... अत्याचार और पुनर्वास अपनी स... कराकर उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्र... या टेलिफोन के माध्यम से कानूनी... 'इन लोगों के समस्या का हुआ समाधान... शंकर, दीपक चौधरी,

सीएससी द्वारा टेलीलॉ के सम्बंध में संगोष्ठी का हुआ आयोजन

टेली लॉ के माध्यम से वीएलईयो ने आम जनमानस को अधिकतम लाभ दिलवाने का लिया संकल्प

आनन्दी मेल संवाददाता
चेतन कुमार/मोहित कुमार

हापुड़। जनपद हापुड़ के जिलाधिकारी कार्यालय में सीएससी द्वारा टेलीलॉ के सम्बन्ध में संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें राज्य कार्यालय से आये हिरदेश त्यागी द्वारा जिला हापुड़ के वीएलईयो को टेलीलॉ के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की और हिरदेश त्यागी ने बताया कि न्याय विभाग एवं सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) ...

के बच्चे,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य औद्योगिक कामगार,मजदूर और बीपीएल परिवार के सदस्यों को निःशुल्क कानूनी सलाह प्रदान की जाएगी। संगोष्ठी में सीएससी जिला प्रबंधक जितेंद्र सिंह यादव ,उदयेंद्र सिंह और जिला समन्वयक नरेंद्र कुमार के साथ जिला हापुड़ के 100 से अधिक वीएलईयो ने अपनी भागीदारी की। वीएलईयो ने सीएससी की इस सेवा की बहुत ही सराहना की और टेली लॉ के माध्यम से आम जनमानस को अधिकतम लाभ दिलवाने का संकल्प लिया।

सी एस सी की टेली लॉ सर्विस पन इंडिया में उत्कृष्ट कार्य के लिए खण्डवा में एक दिवसीय कार्यशाला

स्टेट टीम द्वारा विकासखण्ड छैगांवमाखन के जितेंद्र कोचले का बेस्ट वी एल ई आई से किया सम्मान

दैनिक गोल्ड, खंडवा

खंडवा,सी एस सी द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन लायंस क्लब में हुआ संपन्न कार्यशाला में फसल बीमा, LIC बीमा, ग्रामीण ई स्टोर एवं टेली लॉ जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई एवं अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले VLE का किया सम्मान कड़ी को ध्यान में रखकर टेली लॉ सर्विस छैगांवमाखन के VLE जितेन्द्र कोचले ने अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाकर लोगो निःशुल्क कानूनी सलाह लेने के लिए प्रेरित करके अधिक से अधिक पीड़ित लोगों की योजना के माध्यम से मदद की और योजना से लाभान्वित किया उनके इस कार्य की प्रशंसा राष्ट्रीय स्तर की जा रही है ।

उनके समाज के प्रति इस समर्पित भाव और कार्य को देखकर स्टेट टीम से मध्यप्रदेश स्टेट मैनेजर लोकेश सर द्वारा मैडल पहनाकर बेस्ट वी एल ली के अवार्ड से किया सम्मानित यह कार्यक्रम सम्पूर्ण सी एस सी जिला प्रबंधक पावस चोकड़े एवं हरीश यादव के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ कार्यक्रम संचालन जितेंद्र कोचले और आभार पावस चोकड़े ने माना कार्यक्रम में खण्डवा जिले से लगभग 150 वी एल ई मौजूद रहे।

राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर टेली लॉ विधिक सहायता केंद्र ने निकाली प्रभातफेरी

चम्पारण केसरी

मोतिहारी, पू०च०। टेली लॉ विधिक सहायता केन्द्र दक्षिणी सुगांव के बैनर तले राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर सुगौली क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता सह स्वयंसेवक अवधेश कुमार गुप्ता के द्वारा मोतिहारी शहर स्थित सत्याग्रह शताब्दी पार्क से प्रभातफेरी का आयोजन किया गया राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर लोगों को जागरूक करते हुए वीएलई अवधेश कुमार गुप्ता ने बताया कि देश में हर वर्ष 21अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने कर्तव्यका पालन करते हुए, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पुलिस स्मृति दिवस 1959 में उस दिन की याद दिलाता है, जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी सैनिकों द्वारा बीस भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, जिसमें कुछ भारतीय पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी और कुछ कैद हो गए थे। सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश कुमार गुप्ता ने बताया कि उसी दिन से, शहीदों के सम्मान में प्रति वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के... जाता है।

वही सामाजिक ... गुप्ता ने कहा कि सामुदायिक भावनाओं को जोड़ने के लिए और लोगों के मन में से पुलिस के प्रति भय व नफरत को दूर करने की जरूरत है। गुप्ता ने कहा कि पुलिस वाले भी अपने ही परिवार के हिस्सा है। इसलिए अपने आस पास होने वाले अपराधों की सूचना पुलिस को दें। अपराध को ...ही सूचना ...काल रोक ...है, जिससे समाज में ... सद्भाव का वातावरण बना रहेगा।

मौके पर टेली लॉ सीएससी पीएलवी नीतु कुमारी सर्राफ, शारदा कुमारी शर्राफ, पूर्व पीएलवी सतेंद्र कुमार, रोहित रंजन कुमार, रणधीर कुमार, प्रवीण कुमार सहित दर्जनों उपस्थित थे।

सीएससी प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन

राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर जन-जागरूकता आयोजित

राष्ट्रीय खबर

समाधान के लिए टेली लॉ कानूनी सहायता केन्द्र पर उमड़ी भीड़

राष्ट्रीय खबर

राष्ट्रीय खबर

पीएम मोदी के जन्मदिवस पर जन जागरूकता आयोजित

सुगौली, पू.च : प्रखण्ड के ग्राम पंचायत दक्षिणी सुगाँव, साहू बस्ती स्थित कॉमन सर्विस सेंटर सह टेली लॉ विधिक सहायता केन्द्र के बैनर तले प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी के जन्मदिन पर टेली लॉ योजना तथा लोक अदालत से मिलने वाली लाभ को लेकर विधिक जागरूकता का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वयंसेवक सह सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश कुमार गुप्ता ने लोगों को केंद्र प्रायोजित योजना टेली लॉ तथा लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत से मिलने वाली कानूनी सहायता की जानकारी दी। वही उन्होंने पीएम मोदी के संघर्ष पूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला। तथा उनके दीर्घायु होने की कामना की।

TELE – LAW *IN MEDIA*

'टेली लॉ कानूनी सलाह सहायक केंद्र के बैनर तले "हक हमारा भी तो है" को लेकर चला अभियान'

जेटी न्यूज
मनु पाण्डेय

विकासशील

नि:शुल्क कानूनी सलाह पहुंचाएगा टेली लॉ

सिटी रिपोर्टर | मधुबनी

रविवार को जिला मुख्यालय के एक निजी विद्यालय सभागार में सीएससी संचालकों की जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में लोगों को टेली लॉ के उद्देश्यों को विस्तार से बताया गया। वहीं इसकी सुविधा हर जरूरतमंद तक पहुंचाने की बात कही गई। सीएससी टेली लॉ के स्टेट हेड प्रकाश कुमार ने सीएससी संचालकों को विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सीएससी के पास 13 बड़े वकीलों का केंद्रीकृत पैनल है। जो मोबाइल से कनेक्टिविटी के जरिए कानूनी सलाह उपलब्ध कराते हैं। गांव, देहात या सुदूर क्षेत्रों में जो पिछड़े वर्ग से हैं, उन्हें सहूलियत देते हुए यह सुविधा शुरू की गई है। उन्हें भी कानूनी सलाह निशुल्क अनिवार्य तौर पर उपलब्ध हो, इसलिए यह व्यवस्था की गई है। संचालकों से अपील करते हुए कहा कि जरूरतमंदों की मदद कर उन्हें सुलभ न्याय दिलाने में सहयोग करें। ऐसे लोगों को निशुल्क कानूनी सलाह दी जा रही है। यह उनका विधिक अधिकार भी है। वहीं सीएससी संचालकों को शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर करने की जरूरत पर बल दिया गया। पटना से आए इंश्योरेंस हेड सौरभ कुमार, जोनल हेड ब्रजेश कुमार, जेनरल लाइफ इंश्योरेंस के अभिनंदन कुमार सहित कई अन्य ने सीएससी की अलग-अलग सुविधाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान आईआरसीटीसी के जरिए रेलवे,फ्लाइट बुकिंग को भी विस्तार से बताया गया। बताया इस सुविधा से कहीं से भी ट्रेन की बुकिंग की जा सकती है। ग्रामीणों को इसके लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। बल्कि उन्हें यह सुविधा आसपास ही मिल जाएगी।सीएससी के नीतीश कुमार, रवि कुमार व राकेश कुमार ने बताया कि आयोजित कार्यशाला में डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले संचालकों को सम्मानित भी किया गया। जिनमें संचालक सोनू सिंह,दिलीप कुमार, प्रभात कुमार, कुमारी मनोरमा, सत्री कुमार, विकास कुमार पटेल व अजित कुमार को सम्मानित किया गया।

તાલુકા કાનૂની સેવા સમિતિ, સિનિયર સિવિલ કોર્ટ, નડીઆદ દ્વારા "INTERNATIONAL JUSTICE DAY" અંતર્ગત કાનૂની શિક્ષણ કાર્યક્રમ યોજાયો

WESTERN TIMES
97256 68738

सुविधा • जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को दी गई जानकारी, दौन उत्पीड़न जैसे मामलों में भी मददगार

टेली-लॉ से घर बैठे ले सकते हैं वरिष्ठ वकीलों से सलाह

एप से करा सकते हैं केस रजिस्टर

न्याय विभाग एवं कॉमन सर्विस सेंटर की टीम ने लगाया कैंप

बठिंडा। न्याय विभाग एवं कॉमन सर्विस सेंटर की टीम की तरफ से जिला प्रबंधक तरसेम सिंह बराड़ एवं निशा धीमान की अगुवाई में ग्राम नरुआना में कैंप का आयोजन किया गया। अधिवक्ता अकाश बस्सा, अधिवक्ता हरकर्ण सिंह तूर, अधिवक्ता शिवानी गुरु पैनल लायर गांव नरुआना हाजिर रहे। ... इस मौके पर हरदीप सिंह, अमनदीप सिंह ढिल्लों भी हाजिर रहे। कैंप के दौरान लोगों को कानूनी सहायता के संबंध में बताया गया ... में लोगों को बताया गया। कैंप में लोगों ने भारी तादाद में पहुंचकर टेली ला के संबंध में जानकारी हासिल की।

चौपाल में दी गई राष्ट्रीय लोक अदालत व टेली लॉ योजना की जानकारी

मोतिहारी,पू०च०। प्रखण्ड सुगौली के दलित महादलित बस्ती सहित विभिन्न क्षेत्रों में टेली लॉ योजना एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की मिलने वाले लाभ ... सामाजिक ... कुमार गुप्ता ... जागरूकता ... किया गया। ... चौपाल ... लोगों को ... सामाजिक ... गुप्ता ने ... मिलने ... तथा ... मिलने ... कारी ... के द्वारा लोगों की भलाई के लिए समय समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जिसमें कोई भी नागरिक सुलह योग आपराधिक, दीवानी, राजस्व, बैंक ऋण, मुकदमा पूर्व एवं लम्बित, दुर्घटना, वैवाहिक, श्रम वाद, भू अर्जन वाद, पारिवारिक सहित अन्य सभी प्रकार के सुलहनीय वादों का निस्तारण आपसी सद्भाव एवं सहमति से करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज भी समाज का एक तबका जागरूकता के अभाव में बहुत सारे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो जाता है, जिसके लिए हमसभी को जागरूक बनने की आवश्यकता है।

टेली लॉ योजना अंतर्गत मिलने वाली कानूनी सहायता को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति, अपनी किसी समस्या को लेकर कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहता है, वह मेरे बसुधा केन्द्र के माध्यम से टेली लॉ योजना के अंतर्गत घर बैठे, पैनल अधिवक्ताओं से नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, यह सेवा पूर्णत: निशुल्क है। मौके पर टेली लॉ सीएससी पीएलवी नीतू कुमारी सर्राफ, शारदा कुमारी शर्राफ, ग्रामीण हरिश्चंद्र मिश्रा, मनमोहन झा, रंजीत मिश्रा सहित अन्य उपस्थित थे।

ਪੂੜਾ ਵਿਖੇ 'ਸਾਰਥਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ 'ਟੈਲੀ ਲਾਅ' ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ
RozanaSpokesman.com

धूमधाम से मनाया गया कॉमन सर्विस सेंटर्स में 76 वां स्वतंत्रता दिवस

दबंग इंडिया संवाददाता

लखनऊ। सूचना प्रोद्योगिकी एवं इलेक्ट्रोनिक्स व विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री योगेन्द्र उपाध्याय जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में व मुख्यमंत्री जी के दिशानिर्देशन में प्रदेश भर में महाभियान के तौर पर चल रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रदेश भर में संचालित इस्ट (कॉमन सर्विस सेन्टर) संचालकों का आवाहन किया था, इस क्रम में प्रदेश भर के कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों द्वारा इस अवसर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए हर घर तिरंगा कार्यक्रम को जन आंदोलन के रूप में सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के दिन झण्डारोहण के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। यह कार्यक्रम भडपुरा नौराहा निगोहां लखनऊ में राजपूत जन सेवा केन्द्र में किया गया सीएससी के सभी सार्विसों की जानकारी दी गई और तत्पश्चात प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के लाभार्थियों में प्रमाणपत्र वितरण, किए गए और टेली लॉ जागरूकता अभियान के तहत बाइक रैली भी निकाली गई इस कार्यक्रम में सीएससी के स्टेट हेड ऑफिस से वागीश सिंह राज्य समन्वयक टेली लॉ उत्तर प्रदेश और सीएससी के जिला प्रबंधक आशीष राय, ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार द्विवेदी, ग्लोबल एजुकेशन फाउन्डेशन के अध्यक्ष सौरभ सिंह चौहान, सीएससी संचालक वीरेंद्र कुमार राजपूत और ग्रामवासी लोग मौजूद थे।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
92179-18897
98889-75440
0161-5035741

ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਉਟਾਲਾਂ ਵਿੱਚ "ਟੈਲੀ ਲਾਅ" ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ

ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ

ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ
92179-18897
deshduniyadd@gmail.com

टेली लॉ सर्विस से घर बैठे मिल रही कानूनी सलाह

एक माह में 407 लोगों ने कराया पंजीकरण

इनके लिए है सेवा

यह है टेली लॉ सर्विस

इन मामलों में दी जाती है सलाह

"सीएससी के बैनर तले प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर टेली लॉ विधिक जागरूकता का हुआ आयोजन"